



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 84 राँची, गुस्वार, 14 फाल्गुन, 1947 (श०)
5 मार्च, 2026 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प
27 फरवरी, 2026

ज्ञापांक-05/वित्त अयोग-29/2019/न०वि०आ०- 700--

विषय:- गढ़वा नगर परिषद क्षेत्रान्तर्गत **Multi Purpose Cultural Complex** निर्माण योजना हेतु द्वितीय पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि रु० 7,97,73,400/- (सात करोड़ सतानवे लाख तिहत्तर हजार चार सौ रुपये) मात्र पर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

74वें संविधान संशोधन की 12वीं अनुसूची के आलोक में विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से नागरिकों को मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराना नगर विकास एवं आवास विभाग का संवैधानिक दायित्व है। इस क्रम में गढ़वा नगर परिषद अन्तर्गत **Multi Purpose Cultural Complex** निर्माणाधीन है।

2. उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में 14वें वित्त आयोग के तहत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय अनुश्रवण समिति (HLMC) द्वारा गढ़वा नगर परिषद के **Multi Purpose Cultural Complex** निर्माण योजना के कार्यान्वयन से पूर्व इसके प्राक्कलन पर सक्षम प्राधिकार से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर लेने की शर्त पर विभागीय पत्रांक-173B, दिनांक-31.10.2019 के द्वारा रु० 300.00 लाख की राशि पर स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

3. **HLMC** द्वारा मूल स्वीकृत राशि रु० 300.00 लाख के मानक प्राक्कलित राशि रु० 500.00 लाख के विरुद्ध भवन डिजाइन, विवाह भवन जोड़ने एवं अन्य कारणों से हुई बढ़ोतरी के कारण उक्त योजना की पुनरीक्षित लागत राशि रु० 665.18 लाख पर **HLMC** से स्वीकृति प्राप्त करते हुए स्वीकृत्यादेश संख्या-120, दिनांक-19.01.2021 द्वारा प्रथम पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी।
4. उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु गढ़वा नगर परिषद को 15वें वित्त आयोग के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-320, दिनांक-28.03.2022 द्वारा कुल रु० 12,646,572/- आवंटित है।
5. वर्तमान में उक्त योजना पूर्ण की जा चुकी है एवं गढ़वा नगर परिषद के पत्रांक-1256, दिनांक-25.08.2022 द्वारा कुल रु० 7,97,73,400/- (सात करोड़ संतानवे लाख तिहत्तर हजार चार सौ रुपये) का पुनरीक्षित प्राक्कलन प्राप्त है।
6. उक्त निर्माण योजना हेतु भवन डिजाइन, विवाह भवन जोड़ने, कार्य स्थल, **Soil Condition** एवं भवन की उपयोगिता के मद्देनजर संशोधित प्राक्कलन में हुई वृद्धि के कारण द्वितीय पुनरीक्षित प्राक्कलन के पुनरीक्षण हेतु अनुरोध प्राप्त है।
7. द्वितीय पुनरीक्षित प्राक्कलन पर मुख्य अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त है।
8. उक्त योजना की मूल प्राक्कलन की राशि रु० 300.00 लाख थी, जो प्रथम पुनरीक्षण के पश्चात् रु० 665.18 लाख हो गई। कंडिका-6 एवं 7 के आलोक में द्वितीय पुनरीक्षण के उपरान्त योजना की प्राक्कलित राशि रु० 7,97,73,400/- हो जाएगी।

अतः गढ़वा नगर परिषद क्षेत्रान्तर्गत **Multi Purpose Cultural Complex** निर्माण योजना हेतु द्वितीय पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि रु० 7,97,73,400/- (सात करोड़ संतानवे लाख तिहत्तर हजार चार सौ रुपये) मात्र पर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

9. योजना के पुनरीक्षण के पश्चात् अतिरिक्त राशि का वहन 15वें वित्त आयोग अन्तर्गत आवंटित राशि से किया जाएगा।

10. उक्त प्रस्ताव पर दिनांक-08.10.2024 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में मद संख्या-21 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गयी है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राज्य के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(सुनील कुमार),
सरकार के प्रधान सचिव ।
